क्रम-संख्या-15 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 28 जनवरी, 2013

माघ 8, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 83/79-वि-1-13-1(क)-3-11

लखनऊ, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1932 की अनुसूची एक का प्रतिस्थापन

2–भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची–एक

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस सदेय है	अधिकतम फीस
1–धारा 58 के अधीन कथन	पांच हजार रुपये
2–धारा 60 के अधीन कथन	पांच सौ रुपये
3–धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	पांच सौ रुपये
4–धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	पांच सौ रुपये
5–धारा 63 के अधीन सूचना	पांच सौ रुपये
6–धारा 64 के अधीन आवेदन	पांच सौ रुपये
7–धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण।	एक सौ रुपये
8–धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण।	एक सौ रुपये
9–फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए पचास रुपये

उद्देश्य और कारण

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1932) की अनुसूची–1 में उपबन्धित अधिकतम फीस वर्ष 2001 से पुनरीक्षित नहीं की गयी है। चूँकि उक्त अधिनियम के प्रशासन पर व्यय बढ़ गया है, अतः उक्त अनुसूची में उपबन्धित फीस को पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया है। अतएव उक्त अनुसूची में दी गयी अधिकतम फीस को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।

No. 83(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)3-11

Dated Lucknow, January 28, 2013

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Bharatiya Bhagidari (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 11, 2013.

THE INDIAN PARTNERSHIP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. ACT NO. 2 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Indian Partnership Act, 1932 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty Second Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

2. For Schedule-I to the Indian Partnership Act, 1932 the following Schedule shall be substituted, namely:- Substitution of Schedule-I of Act no. IX of 1932

SCHEDULE-1

MAXIMUM FEES

[*See* sub-section (1) of section 71]

Document or Act in respect of which the fee is payable	Maximum Fee
1. Statement under section 58	Five thousand rupees
2. Statement under section 60	Five hundred rupees
3. Intimation under section 61	Five hundred rupees
4. Intimation under section 62	Five hundred rupees
5. Notice under section 63	Five hundred rupees
6. Application under section 64	Five hundred rupees
7. Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of section 66.	One hundred rupees
8. Inspection of documents relating to a Firm under sub-section (2) of section 66.	One hundred rupees
9. Copies from the Register of Firms	Fifty rupees for each hundred words or part thereof

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The maximum fees provided in Schedule-1 to the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932) have not been revised since, 2001. Since the expenditure on the administration of the said Act has been increased, it has become necessary to revise the fees provided in the said Schedule. It has, therefore, been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh to increase the maximum fees given in the said Schedule.

The Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,

S.K. PANDEY,

Pramukh Sachiv,

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा मे,

विशेष सचिव,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनु0–2
उ0प्र0 शासन,लखनऊ।

संख्या 48 /

लखनऊ:दिनांक 04/04/2019 ~~मार्च 2019~~

विषय– फर्म एवं सोसाइटी की आच्छादित सेवाओं के आनलाइन शुल्क के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या आडिट –2–ए 226/दस–18/101(19)/2018 वित्त (लेखा परीक्षा)अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 14 मार्च 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (उ0प्र0संशोधन) अधि0 2011 की धारा 60 से 66 तक व सो0रजि0अधि0 1860 की धारा 19 के अंर्तगत सोसाइटी एवं फर्मो में दाखिल दस्तावेजों का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतियां निर्धारित फीस जमा कर प्राप्त की जा सकती है । कार्यालय मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0शासन की अपेक्षानुसार फर्म एवं सोसाइटियों के आनलाइन निरीक्षण कराने जाने एवं आनलाइन सत्यप्रतिलिपि जारी किया जाना है ।

वर्तमान में फर्मो एवं सोसाइटियों के नवीन पंजीयन हेतु ही आनलाइन व्यवस्था प्रचलित है। फर्मो एवं सोसाइटियों की पत्रावलियों /अभिलेखों का निरीक्षण प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु वर्तमान में आफलाइन प्रक्रिया संचालित है , जिनके शुल्क निम्नवत है:–

कमांक	विवरण	निर्धारित शुल्क (रू0 में)	अधिनियम के अंर्तगत
1	2	3	4
1	फार्म नं0 1 की प्रमाणित प्रतिलिपि	150.00	विधायी अनुभाग 1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 83 /79 – वि–1 –13 –1 (क) –3 –11 दिनांक 28 जनवरी 2013 द्वारा निधारित रू0 50/– मात्र प्रति 100 शब्द इस प्रकार फार्म नं0 1 में 300 शब्द का शुल्क रू0 150/– आफ लाइन जमा किया जाता है ।
2	फर्म के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि	100.00	विधायी अनुभाग 1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 83 /79 – वि–1 –13 –1 (क) –3 –11 दिनांक 28 जनवरी 2013 द्वारा निधारित रू0 50/– मात्र शुल्क आफ लाइन जमा किया जाता है ।
3	फर्म के नाम , पते विधान में संशोधन फार्म नं0 2 से फार्म न0 9 तक (प्रत्येक के लिए)	500.00	विधायी अनुभाग 1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 83 /79 – वि–1 –13 –1 (क) –3 –11 दिनांक 28 जनवरी 2013 द्वारा निधारित रू0 500/– मात्र प्रत्येक फार्म हेतु आफ लाइन जमा किया जाता है ।

4	फर्म के रजिस्टर का निरीक्षण (प्रत्येक)	100.00	विधायी अनुभाग 1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 83 /79 – वि–1 –13 –1 (क) –3 –11 दिनांक 28 जनवरी 2013 द्वारा निधाारित रू0 100/– मात्र आफ लाइन जमा किया जाता है ।
5	फर्म संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण (प्रत्येक)	100.00	विधायी अनुभाग 1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 83 /79 – वि–1 –13 –1 (क) –3 –11 दिनांक 28 जनवरी 2013 द्वारा निधाारित रू0 100/– मात्र आफ लाइन जमा किया जाता है ।
6	संस्था की पत्रावली अथवा अन्य अभिलेखों का निरीक्षण शुल्क(प्रत्येक)	50.00	उ0प्र0 शासन के वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग संख्या आडिट – 3366 /दस –94 –600 (1)/14 दि018.7.94 द्वारा निधाारित रू0 50/– शुल्क प्रत्येक सोसाइटी के संबंध में उस भाग के लिए देय होगा जो आफ लाइन जमा किया जाता है ।
7	संस्था के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु.	सामान्य शुल्क रू0 50.00 आवश्यक शुल्क रू0 100.00 अति आवश्यक शुल्क रू0 150.00	उ0प्र0 शासन के वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग संख्या आडिट – 3366 /दस –94 –600 (1)/14 दि018.7.94 द्वारा निधाारित रू0 50/– मात्र साधारण शुल्क , आवश्यक शुल्क 100/– तथा अति आवश्यक रू0 150/– उ0प्र0 सो0रजि0नियमावली 1976 की धारा 19 व नियम 7 के उपनियम 2 (ग) में विहित दरों की कमशः दुगनी व तीनगुनी शुल्क आफ लाइन जमा किया जाता है ।
8	संस्था के पंजीकृत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु (प्रति 100 शब्द)	सामान्य शुल्क रू0 10/–प्रति 100 शब्द आवश्यक शुल्क रू0 20/–प्रति 100 शब्द अति आवश्यक शुल्क रू0 30/–प्रति 100 शब्द	उ0प्र0 शासन के वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग संख्या आडिट – 3366 /दस –94 –600 (1)/14 दि018.7.94 द्वारा निधाारित प्रति 100 शब्द या उसके भाग के लिए रू0 10/– मात्र साधारण शुल्क , आवश्यक शुल्क 20/– तथा अति आवश्यक रू0 30/– उ0प्र0 सो0रजि0नियमावली 1976 की धारा 19 व नियम 7 के उपनियम 2 (ग) में विहित दरों की कमशः दुगनी व तीनगुनी शुल्क आफ लाइन जमा किया जाता है ।

विभाग रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट www.uprfsc.gov.in पर सोसाइटी के पंजीकरण, नवीनीकरण व फर्मो के पंजीकरण हेतु आवेदन जनता द्वारा जमा किये जा रहे हैं और उसका निर्धारित शुल्क वेबसाइट के माध्यम से फायर फॉक्स साफ्टवेयर पर नेट बैंकिंग के द्वारा राज्य कोष (rajkosh.up.nic,in) जमा/केडिट हो जाती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि आनलाइन पंजीकृत फर्मो एवं सोसाइटियों की प्रतिलिपि शुल्क उपरोक्तानुसार मैनुअल रूप से निर्धारित फीस के अनुसार ही जारी किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

भवदीय ,

(अनिल कुमार मिश्र)
डिप्टी रजिस्ट्रार

-05-2019 15:23